

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

- आदेश :-

पार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शास्त्री
 व भूअनि. त्रिदसानी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रत्नपुरा नयत
 तहसीलदार की अनुमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम छंशाली तहसील रत्नपुरा व
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 78
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिपोर्ट में अमल
 दरामत के आदेश दिथ जाते हैं - **मदनी पुत्री भाव्यु गौड़**

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि का राजस्व रिपोर्ट में दर्ज की जानी है)
1	छंशाली	78	SBBJ शाखा रत्नपुरा दरीवा	SBI शाखा रत्नपुरा दरीवा

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

क्रमांक- राजस्व/2025/126
 प्रतिलिपि -

दिनांक - 03.10.25

1. तहसीलदार रत्नपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल दरामत शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री का सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक कलक्टर
 (उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर